

प्रेषक,

निदेशक, मत्स्य,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

- 1- समस्त उप निदेशक, मत्स्य
उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-

/स्था०शा०/कोर्टकेस/लीगल वेब पोर्टल

दिनांक- 29.10.2021

विषय- विभागीय वेब पोर्टल <http://fymis.upsdc.gov.in> के Legal Monitoring System मॉड्यूल पर
वाद सम्बन्धी विवरण/सूचनाओं की प्रविष्टि एवं उन्हे अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयांकित निदेशालय पत्र संख्या-1610/स्था०शा०/कोर्टकेस दिनांक 29.06.2020 एवं तत्क्रम में पुनः प्रेषित पत्र संख्या-3707/स्था०शा०/कोर्टकेस दिनांक 01.10.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभागीय वेब पोर्टल (मुख्य यू०आर०एल०-<http://fymis.upsdc.gov.in>) के अन्तर्गत विकसित Legal Monitoring System मॉड्यूल पर सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय द्वारा अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की पूर्ण विवरण/सूचना प्रविष्टि करते हुये अग्रेतर आने वाली सूचनाओं को अद्यतन करने एवं उक्त आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने का कार्य अभियान चलाकर सुनिश्चित करने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश दिये गये थे, ताकि आगामी माह से उक्त Legal Module के माध्यम से मा० न्यायालयों में लम्बित, निस्तारित एवं प्राप्त होने वाले वादों की सूचना प्राप्त की जा सके एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।

उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 एवं तत्क्रम में पत्र दिनांक 01.10.2020 द्वारा विभागीय Legal Monitoring System मॉड्यूल पर आपके मण्डल/जनपद से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में दाखिल होने वाले, विचाराधीन एवं निस्तारित वादों की प्रविष्टियां पूर्ण कराने, नई सूचनाओं को अद्यतन करने आदि के संबंध में स्पष्ट एवं कड़े निर्देश जारी किये जा चुकने के पश्चात भी आपके स्तर पर उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है। फलस्वरूप में विभाग से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में दाखिल होने वाले, विचाराधीन एवं निस्तारित वादों के विभागीय Legal Monitoring System मॉड्यूल के माध्यम से अनुश्रवण का कार्य प्रारम्भ किया जाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है।

अतः उक्त संदर्भ में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 तत्क्रम में पत्र दिनांक 01.10.2020 में दिये गये निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर अभियान चला कर अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की प्रश्नगत Legal Module पर प्रविष्टियां पूर्ण कराने, तथा नई सूचनाओं को अद्यतन करने का कार्य प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डा० सरोज कुमार)

निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्र संख्या- 3856 /स्था०शा०/कोर्ट केस

दिनांक - उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ० प्र० शासन, सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- उप निदेशक मत्स्य, सहायक/सहायक निदेशक मत्स्य (सामान्य शाखा), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संदर्भ में उपरोक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 एवं पत्र दिनांक 01.10.2020 के अनुपालन में आपके नियंत्रणाधीन शाखा से संबंधित वादों के संदर्भ में यथा निर्देशित उपरोक्त कार्य व्यक्तिगत ध्यान देकर सुनिश्चित करायें।

3- वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश सहित प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डा० सरोज कुमार)

निदेशक मत्स्य, उ०प्र०, लखनऊ।